242

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

रिग -3354- ? -16

1. कमलेश तनय रामलाल काछी

2. कैलाश तनय रामलाल काछी

दोनों निवासी ग्राम बिलहरी, तह. नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

... आवेदकगण

// विरुद्ध //

1. सरी उर्फ पूना पत्नि देवकी प्रसाद पुत्री मगन काछी निवासी ग्राम बन्ने बुजुर्ग, हाल निवासी जिझान तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

2. [redacted] पार्वती पुत्री मगनकाछी पत्नि देशपद काछी सा. ग्राम बिलहरी तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

3. सरमन पुत्री मगन काछी पत्नि रामलाल काछी सा. ग्राम बिलहरी तह. नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

4. हरप्रसाद तनय अजुध्या साहू

5. सुकलाल, जगन तनय हल्का काछी,

6. बिहारी तनय हरजू काछी.

7. पंकुजा तनय घुरुवा काछी

8. रामवान तनय टुण्डे काछी

9. नाथूराम, कमलेश, किशोरी तनय हरप्रसाद साहू

10. मकुंदी तनय सुकलाल काछी.

11. राधाचरण तनय गजेन्द्र काछी

सभी निवासी ग्राम बन्ने बुजुर्ग, तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

... अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959.

उपरोक्त आवेदकगण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधि0 जतारा, जिला टीकमगढ द्वारा अपीलप्र.,क्र.-140/अपील/सन् 2015-16 पारित आदेशदिनांक 14.09.16 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख कानूनीएवं तथ्यों के आधार पर रिवीजन प्रस्तुत करते है कि :-

1:- यह किअधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीतएवं तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जानेयोग्य है ।

2:- यहकि आवेदकगण को वादग्रस्तभूमि ग्राम बन्नेबुजुर्ग भूमि ख.नं. 57/3, 4, 14/1, 4/1, 2, 5/8, 1 एवं 37/2 कीभूमि जो कि मंगना तनय हल्का काछी के स्वामित्वकी भूमि थी जो ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग के प्रस्ताव क्र.-23, दिनांक 24.01.2007 पंजी क्र.-6 द्वारा बटवारा कर ,बटवारा दिनांक 14.01.07को विधिवत् ग्राम में इश्तहार जारी कर सहखातेदारों कोबुलाकरउक्तभूमि आवेदकगण को सहमतिसे बटवारामें प्राप्त हुई थी जिसमें सभी पक्षसहमत थे और स्वामित्वधारी मंगना ने अपनी स्वेच्छा से अपने जीवनकाल में भूमियों का बटवारा किया था क्योंकि वह आवेदकगण को अत्याधिक प्रेम करते थे और उन्होने सहमतिपूर्वक बटवारा किया था तभी से आवेदक गण उपरोक्तभूमि पर मालिक काबिज चले आरहे हैं एवं कृषि कार्यकरते हैं ।

3. यहकि ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग द्वारा पारित आदेशदिनांक 14.1.2007 की जानकारी प्रतिअपी./अनावेदकक्र.-1 और 2 को थी और स्व. मंगन ने भी अपने जीवनकाल में अनावेदक क्र.-1 व 2 कोबटवारे के संबंध में बता दिया था किन्तु बाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3354-एक/2016 जिला टीकमगढ़

कमलेश विरूद्ध सरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 07/3/19 सदस्य	